विषय :---न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू र क... द्रभ.../ 6 (एस) द्री द्रीप व व म भागमान्यान विरुद्ध 211 निर् ् क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्रानार्थ द्वार्थ /राष्ट्र वार्यालय से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू सि. 🔰 (एस) की याचिका पुगरी अखिलारी वनार्य WT आयुक्त / सिन्निर्वं महोदय वि.क.अ.(न्या.प्रकीष्ठ) 2155 - 3/9 9 ap/ \$ 15+ Gnids -

विषय:---न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू २० 34/16 (एस) 570 क्या सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक 557-50 दिनांक 15-376 में अतिरिक्त् संचालक /प्रामूर्य 3----नेवालिक मिया उत्पत्न को प्रभारी अधिकारी नियुक्त म अतिरक्ता की नास्ती विषिष् विभाग हिन्द्राप 45 5:600 DET -110 10.00.31. विधि विभाग समाकान्त समराव सविव/आयुक्त म्प्र, सारान, उच्च शिक्षा विमान

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भू

क्षितम्भो – ३७७ – आर्रिशभो – ६ ५ ।४--

कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चंबल संमाग

मोतीमहल परिसर, ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर, दिनांक24/2/

/क्षे.का./उशि/न्या.प्र. /2016

शासकीय प्रकरण

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधि प्रकोष्ट.) कार्यालय,आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन पंचम्तल मोपाल।

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.ए. 34/2016 डॉ..अयूब खान विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.02.2016 कें संबंध में। सन्दर्भः- प्राचार्य,शासकीय एम.एल.बी..महाविद्यालय, ग्वालियर का पत्र कमांक 178 दिनांक 12..02.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालीयन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.ए. 34/2016 डॉ..अयूब खान विरूद्ध म.प्र. शासन प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय एम.एल.बी..महाविद्यालय,ग्वालियर विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.02.2016 की प्रति प्राचार्य के संदर्भित पत्र की प्रति सहित पत्र के साध संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

चक्त रिट अपील की याचिका की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी और प्रेषित है। कृपया प्रकरण में प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करवाने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में माननीय न्यायालय में जबाबदावा प्रस्तुत किया जा सकें। संलग्न:- संदर्भित पत्र की प्रति अंतरिम आदेश की प्रति. एवं याचिका की प्रति।

(डॉ.के.एस.सेंगर) प्रभारी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर चम्बल् संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर, दिनांक

/ 2016

प कमांक

/क्षे.का./चशि/न्याप्र/2016

प्रतिलिपि :-1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा-2. कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर

सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्न- संदर्भित पत्र की प्रति एवं अंतरिम आदेश की प्रति।

(डॉ.के.एस.सेंगर) प्रमारी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर चम्बल संभाग

ग्वालियर (म.प्र.)

र्गीलय प्राचार्य, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) Phone 0751-2372199

E-mail hegmlbasccgwa@mp.gov.in

क्रमांक 178 /2015

ग्वालियर दिनांक 12.02.201**6**

प्रति,

आयुक्त उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, 5वी मंजिल भोपाल

विषय ; डा अयुद्ध खान, प्राध्यापक समाजशास्त्र के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने बावत्।

संदर्भ : भाननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के स्थागन आदेश क्र. डब्ल्यू.ए. 34/2016 दिनांक 14.02.16

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि हा अयूब खान, प्राध्यापुक समाजशास्त्र का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय, पिछोर जिला शिवपुरी हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्थगन आदेश क. डक्ट्यू. 34/2016 दिनांक 11.02.16 के परिपालन में इा अयूब खान ने दिनांक 12.02.2016 के पूर्वान्ह में इस राहा विद्याक्षय में प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर कार्यमार ग्रहण कर लिया है।

सन्नार्थ जानकारी प्रेषित है।

PRINCIPAL B. Govt. College Of Excellence CARLET (M.P.)

प्राचार्य

ग्वालियर, दिनांक 12.02.2016

π_[-ιτ_]()/2016 uidlai¢-

अतिशिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, 5वी मंजिल, भोपाल


 अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, ग्वालियर—चम्बल संभाग, मोतीमहल परिसर, ग्वालियर प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान, महाविद्यालय, रीवा

ं क्रोबालय अधिकारी जिला ग्वालियर, गोरखी, ग्वालियर

लेकापाल, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर **श्र्वा**पना, महारानी लक्ष्मी **बाई शासकीय** उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर

र अंकेशत अधिकारी.....

PRINGIPAL LLB. Gov. College Of Excellence Castler M.P.



-Versus-

Road, Gwalior (M.P.)

RESPONDENTS: 1. State of M.P. through the Principal Secretary, Higher Education Department, Govt. of M.P., Vallabh Bhawan, Bhopal.

The Commissioner, Higher Education, Govt. of M.P., Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.)

> Principal, MLB Government College of Excellence, Gwalior.

WRIT APPEAL UNDER SECTION 2 OF THE MADHYA
PRADESH (UCHCHA NYALAYA KI KHAND PEETH KO
APPEAL) ADHINIYAM 2005 AGAINST THE ORDER
DATED 4.2.2016 PASSED BY THE HON'BLE SINGLE
JUDGE (SHRI JUSTICE ROHIT ARYA JI) IN W.P.NO
831/2016.

May it please this Hon'ble Court;

The appellant humbly submits the memo of appeal as under:-

1. That, the appellant has filed this appeal against the order dated 4.2.2016 passed by the Hon'ble Single Judge of this Court, whereby the writ petition as filed by the appellant against the order of his transfer has been dismissed by the Hon'ble Single Judge.

ANNEXURE-C

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH







Date & S. No. of the order







Order

W.A.No.34/2016

11.02.2016

Shri Pawan Dwivedi, Jearned counsel for the appellant.

Shri R.B.S. Tomar, learned Government Advocate for the respondents/State.

In the course of the argument on admission, on asking the State counsel that how many students have taken the subject of sociology in the transferred place of the present petitioner i.e. Pichore, District Shivpuri and how many students are in the MLB College, Gwalior in which the appellant was working since 2012, on which the State counsel submits that impugned order has been passed without filing any return on behalf of the State, hence, he be extended a period to file reply in the matter so he may response all the objection on the ground taken by the petitioner in the writ Court including the objections relating to the non-consideration of his representation.

Considering the aforesaid prayer, State counsel is extended a period of 15 days to file response in the matter. He is also directed to file reply of I.A.No.856/2016, appellant's application for grant of stay against the

ANNEXURE-C







CASE No.

OF CO

ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No. of the order

Order



W.A.No.34/2016

operation and execution of the order dated 15.06.2015 (Annexure P-10) with the writ petition passed by respondent No.2.

Let this matter be placed under the same head in the week commencing 14.03.2016.

As an interim measure, till the next date of hearing the operation of the impugned order of the writ Courtes well as aforesaid order dated 15.06.2015 (Annexure P-10) are hereby stayed.

adding the state of the state o

(U.C. Maheshwari)

(Sushii Kumar Gupta) Judge

CERTIFIED TO BE ATRUE COPY

Madiga Franch High Count

Catholic to Mars Engineeric

Check of Coned

keeper liseling and a serial

Copyist





To

Higher Education Department
Vallabh Bhawan, Bhopal.
2) The Commissioner,
Higher Education
Satpura Bhawan Bhopal.
3) The Principal
MLB Govt. College
of Excellence, Gwalior.

© { 0751-2230360 Office/Fax 0751-2230269 Office

कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सिटीसेंटर, ग्वालियर

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, MADHYA PRADESH, HIGH COURT GWALIOR

105/1 - Q-1 / Date

Sub:-: In the matter No. WA No. 34/2016- Ayub Khan Versus State of MP and others.

Present appeal has been filed by the appellant against the order dt. 4-2-2016 passed in WPNo. 831/2016 which was filed by the appellant against the order dt. 29-1-2016 by which representation filed by the appellant has been rejected. In the writ appeal the Hon'ble court has directed to file reply while passing the interim order on 11-2-2016.

The Hon'ble court has fixed the matter on 14-3-2016 therefore you are requested to send responsible officer /OIC, so that reply as well as application for vacating stay may be filed in the present matter. Needful be done immediately.

OSO Pubul

BB Tomer

(R.B.S. Tomar)
Govt. Advocate.

10/10/1p

्र कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय सतपुड़ा–भवन, भोपाल

कमांक <u>\$56/331/न्या.प्र/2016</u>

भोपाल, दिनांक 15-3-16

अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर—चम्बल संमाग, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

विषय:—न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.ए.. 34/2016 डॉ0 अयूब खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

विषयांकित प्रकरण में श्री आर.बी. एस. शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्मांक 1105, दिनांक 16.02.2016 की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। विषयांकित प्रकरण में आप प्रकरण प्रभारी है। अतः तत्काल शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में जवाबदावा दायर करवाकर, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये। संलग्न:— उपरोक्तानुसार

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (न्या०) उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश





To

1. The Principal Secretary
Higher Education Department
Vallabh Bhawan, Bhopal.
2) The Commissioner,
Higher Education
Satpura Bhawan Bhopal.
3) The Principal
MLB Govt. College
of Excellence, Gwalior.

© { 0751-2230360 Office/Fax 0751-2230269 Office

कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सिटीसेंटर, ग्वालियर OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, MADHYA PRADESH, HIGH COURT

GWALIOR

Dated.

Sub:-: In the matter No. WA No. 34/2016- Ayub Khan Versus State of MP and others.

Present appeal has been filed by the appellant against the order dt. 4-2-2016 passed in WPNo. 831/2016 which was filed by the appellant against the order dt. 29-1-2016 by which representation filed by the appellant has been rejected. In the writ appeal the Hon'ble court has directed to file reply while passing the interim order on 11-2-2016.

The Hon'ble court has fixed the matter on 14-3-2016 therefore you are requested to send responsible officer /OIC, so that reply as well as application for vacating stay may be filed in the present matter. Needful be done immediately.

mici yres

2 what

(R.B.S. Tomar) Govt. Advocate.

2/10/16

M

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग मंत्रालय

सिविल प्रकिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-४ -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रशास अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरंदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं. निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांक करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हए एसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मानले के संचालन में विधिक/शासकीय शिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रक्रम पर विधि विमाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विमाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।
- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- चक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा । 3/
- शासकीय अधिववता की सहायता से लिखित / कथन इतार तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगाः-
- 1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।
- प्रस्तावित लिखित कथन का प्राप्तप ।
- उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तत किया जाना है।
- मामले विश्वदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।
- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग की भेजेगा

- 9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें ,रिपोर्ट बनाने, राय 💘 स करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों।
- 10 / जैसे हैं। उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पर्द भार देने के पश्चात् भी तय तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।
- प्रभारी अधिकारी मानलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि बाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।
- महर्त्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा
- 13 / जिन प्रकरणों में माननीय भुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं, ऐसे मानलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिशीघ आवेदन दायर कर विलोपित करवाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार । मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमाग 🚅 🕯 मंत्रालय, भोपाल प्रकृत ५५% /33) उशिवि / मंत्रालय / न्याप्र //6 मोपाल, दिनांक 15 3-1

महाधिवयता, उच्च न्यायालय म०प्र० जनतनुर/इच्येन्/वालियर संभाग म.प्र. की ओर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शास्त्र विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल 2/

संयंधित जिलाह्यक नेवाल्य 3/ .मध्यप्रदेश । उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अवनी प्राप्तक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आ ं की कार्यधाही के लिये खताह करने और मामलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पन्ने की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से नेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख सनवाई हेत् नियत की गई थी /है ।

5/ हेन्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर ज़ूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु

> मध्यप्रदेश शासन, उच्च रि नंबालय, भोपाल

प्रतिलिप्:-

30.00